न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 115/2022 निर्णय दिनांक :–11.11.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र

1. काली पत्नि स्व0 गोपाल जाति गुर्जर आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम नगरफोर्ट, तहसील नगरफोर्ट, जिला–टोंक, राज0।
2. धोला पुत्री गोपाल जाति गुर्जर आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम नगरफोर्ट, तहसील नगरफोर्ट, जिला–टोंक, राज० ।
3. मनभर पुत्री गोपाल जाति गुर्जर आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम नगरफोर्ट, तहसील नगरफोर्ट, जिला–टोंक, राज० ।
4. राजूलाल पुत्र गोपाल जाति गुर्जर आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम नगरफोर्ट, तहसील नगरफोर्ट, जिला–टोंक, राज० ।
5. शंकरलाल पुत्र गोपाल जाति गुर्जर आयु 27 वर्ष निवासी ग्राम नगरफोर्ट, तहसील नगरफोर्ट, जिला–टोंक, राज० ।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. मड़ालाल पुत्र रामरूप जाति गुर्जर आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम हरिपुरा, तहसील नगरफोर्ट, जिला–टोंक, राज० ।
2. आसाराम पुत्र महावीर जाति गुर्जर आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम हरिपुरा, तहसील नगरफोर्ट, जिला–टोंक, राज० ।
3. तहसीलदार साहब, तहसील नगरफोर्ट, जिला–टोंक।
4. काना (मृतक) पुत्र स्वव नानगा जाति नायक निवासी नगरफोर्ट, तहसील नगरफोर्ट, जिला–टोंक, राज० ।

4/1 बन्सी पुत्र स्व0 काना जाति नायक निवासी नगरफोर्ट, तहसील नगरफोर्ट, जिला–टोंक, राज० ।

4/2 धनराज पुत्र स्व0 रामदयाल पुत्र स्व0 काना जाति नायक निवासी नगरफोर्ट, तहसील नगरफोर्ट, जिला–टोंक, राज० ।

4/3 लाड़ा पत्नि स्व0 रामदयाल पुत्र स्व0 काना जाति नायक निवासी नगरफोर्ट, तहसील नगरफोर्ट, जिला–टोंक, राज० ।

4/4 रामनिवास पुत्र स्व0 काना जाति नायक निवासी नगरफोर्ट, तहसील नगरफोर्ट, जिला–टोंक, राज० ।

/5 कजोड़ी पुत्री स्व० काना जाति नायक निवासी नगरफोर्ट, तहसील नगरफोर्ट, जिला–टोंक, राज० ।

–अप्रार्थीगण–

–उपस्थितिः–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थी संख्या 1 ता 2
श्री राकेश कुमार मीना
अप्रार्थी संख्या 4/1 ता 4/5

प्रार्थना पत्र अ० धारा 251ए काश्तकारी अधि०

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि हाल खाता सं0 20 खसरा नं0 407 रकबा 2. 19 हेक्टर किस्म बारानी – 1 भूमि वाके ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्का रामसागर, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धुंवाकलां, तहसील नगरफोर्ट, जिला–टोंक, राज0 में स्थित है। प्रार्थना पत्र के चरण नं० 1 में वर्णित आराजी भूमि में प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही खसरा नं0 393 व 394 सिवायचक भूमि जिसमें वर्तमान में अतिक्रमी अप्रार्थीगण नं० 1 व 2 फसल काश्त कर रहे है उसमें से होते हुये खसरा नं0 407 में आते–जाते रहे हैं प्रार्थीगण उक्त वर्णित खेतों के सहारे से होकर ही अपने खेतों में फसल काश्त करने व फसल काटकर लाने–ले जाने में उपयोग–उपभोग करते आ रहे थे। हाल ही में खसरा नं0 393 व 394 सिवाय चक खसरा नं0 386 रकबा 0.44 हेक्टर भूमि के अतिक्रमियों अप्रार्थीगण नं० 1 व 2 ने सिवाय चक भूमि में नाजायज रूप से तारबन्दी कर प्रार्थीगण के खेत में आने–जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बन्द कर दिया है और प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 407 में जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया इस कारण से प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में जाने का रास्ता बन्द हो गया और प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में आने–जाने व फसल काश्त करने का अन्य कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण नं० 1 व 2 के द्वारा तारबन्दी कर रास्ता अवरूद्ध करने से मना करने पर अप्रार्थीगण नं० 1 व 2 ने रास्ता देने से मना कर दिया और तारबन्दी कर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता अपनी नितान्त आवश्यकता के लिये जरूरी है और प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिये रास्ता नहीं माँग रहे हैं। उक्त रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पड़त रहने की संभावना है यदि उक्त भूमि में जाने का रास्ता प्रार्थीगण को नहीं दिया गया तो प्रार्थीगण अपनी भूमि को काश्त करने से वंचित हो जावेगें जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थीगण को सिवाय चक भूमि खसरा नं0 393 व खसरा न0 394 के सहारे मेड़ में से उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी दिशा की तरफ

प्रार्थीगण के खेत खसरा नं० 407 में जाने के लिये 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक है। ग्राम नगरफोर्ट से ग्राम हरिपुरा जाने वाला आम रास्ता पगडंडी के रूप में मानचित्र में दर्शाया गया है जो कि खसरा नं0 386 पर जाकर बन्द हो रहा है इसके सहारे सहारे ही सिवाय चक भूमि खसरा नं0 393 व 394 की मेड़ जो कि खसरा नं0 396 से मिलती है अर्थात खसरा नं0 393 व 394 के उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी दिशा की तरफ मेड के सहारे सहारे 20 फीट का रास्ता प्रार्थीगण को अपने संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं० 407 में आने–जाने के लिये दिया जाना नितान्त आवश्यक हो गया रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण का खेत पड़त रह जावेगा और प्रार्थीगण को काफी आर्थिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा । उक्त वर्णित खाता सं0 20 में सह खातेदार भूला पत्नि किशनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम नगरफोर्ट का नाम वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 में अंकित हो रखा है लेकिन भूला पत्नि किशनलाल का देहान्त हो चुका है और भूला का वारिस गोपाल है जिसका भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रार्थीगण ही हैं। खसरा नं0 393 व 394 सिवाय चक भूमि है जो कि अप्रार्थीगण नं0 3 के अधिकार में है अप्रार्थीगण नं० 1 व 2 तो केवल मात्र अतिक्रमी है इसलिये प्रार्थीगण को 20 फीट का रास्ता अपने खेत में आने–जाने के लिये दिलवाया जावे जिसके लिये प्रार्थीगण श्रीमानजी के आदेशानुसार राजकीय दर के अनुसार शुल्क की दुगनी राशि का भुगतान करने को तैयार हैं। पक्षकारान व उक्त वर्णित आराजियात श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार ग्राम हरिपुरा, तहसील नगरफोर्ट में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को सिवाय चक भूमि खसरा नं0 393 व खसरा नं० 394 के पूर्वी दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण तक खसरा नं० 386 में से प्रार्थीगण के खेत खसरा नं0 407 में आने–जाने के लिये 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने के आदेश न्याय हित में प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

अप्रार्थीगण संख्या 4/5 से 4/5 की तरफ से इकबालिया जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार हैः– आवेदन का चरण न. 1. स्वीकार ही आवेदन का चरण नः 2 स्वीकार है। आवेदन का चरण नरू 3, 4, 5 स्वीकार है। आवेदन का चरण नं. 6 स्वीकार है। आवेदन का चरण नः 7, 8, 9 स्वीकार है। आवदेन का चरण नं. 10 कानुनी है। प्रार्थी द्वारा चाही गई अधियाचना स्वीकार ख. नं. 386 में से रास्ता दे दिया जावे तो हमे आपति नहीं ही अतः जवाब आवेदन श्रीमान की सेवा के पेश है।

अप्रार्थीगण संख्या 3 द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट पेश किया गया जो इस प्रकार हैः–प्रार्थीगणो को पर पहुँचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगणो

की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रार्थीगणों को अपने खेत से नगर से रघुनाथपुरा जाने वाली सड़क पर जाने के लिए ग्राम हरिपुरा की सीमा तक ग्राम हरिपुरा के ख. नं. 343/2.70 है0, 394/2.88, 385/0.11, 386/0.44 में से होकर गुजरना पड़ता है। ख. नं. 393, 394, 385 मुताबिक राजस्व रिकार्ड के सिवायचक है। ख. नं. 386 काना पुत्र नानगा जाति नायक सा. नगर की खातेदारी में दर्ज है। जिसे प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। खातेदार काना पुत्र नानगा नायक की मृत्यु हो चुकी है। प्रस्तावित रास्ते की कुल लम्बाई 260 मी. एवं चौड़ाई 6 मी. होगी। जिसका क्षैत्रफल 1560 वर्ग मी होगा। जिनका पृथक–2 खसरा नम्बर का विवरण निम्नानुसार है:–

ख. नं.	लम्बाई	चौड़ाई	चौड़ाई
393	54 मी.	6 मी	324वर्ग मी.
394	56 मी.	6 मी	336वर्ग मी.
385	143 मी.	6 मी	858वर्ग मी.
386	7 मी.	6 मी	42 वर्ग मी.

रास्ता चाहे जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 307796/– रूपये प्रति है0 है। दुगनी दर से प्रतिकर राशि 615592 X 0.1560 =96032 रूपये अक्षरे छिन्नवे हजार रूपये मात्र होती है। आराजी ख. नं. 407 रकबा 2.19 है0 राजूलाल पुत्र गोपाल, शंकर लाल पुत्र गोपाल, धोला पुत्री गोपाल, मनभर पुत्री गोपाल, काली पत्नि स्व. गोपाल, भूला पत्नी किशन लाल गुर्जर की खातेदारी मे दर्ज है। जिसने भूला पत्नी किशन लाल गुर्जर की मृत्यु हो चुकी हैं। भूला के अतिरिक्त अन्य खातेदारों की भूमि बीओबी शाखा नगरफोर्ट के रहन दर्ज है। प्रार्थीगणों को रास्ते के लिए ग्राम हरिपुरा के ख. नं. 393 के 324 वर्ग मीटर 394 के 336 वर्ग मीटर 385 के 858 वर्ग मीटर एवं 386 के 42 वर्ग मीटर भूमि में से गुजरना होगा। जिनको संलग्न नक्शा डोटेट लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई स्थाई संरचना जैसे पेड़, मेन दीवार आदि नहीं है। रिकार्ड के अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि के ख. नं. 393, 394 385 सिवायचक है। जिसमे रास्ता देने का निर्णय श्रीमान के क्षेत्रधिकार में है। ख. नं. 386 काना पुत्र नानगा जाति नायक सा. नगर की खातेदारी में दर्ज है। खातेदार काना पुत्र नानगा नायक की मृत्यु हो चुकी है। अतः मूल दावा में काना पुत्र नानगा के वारिसो को पक्षकार बनाकर सुनना आवश्यक हैं। ग्राम हरिपुरा की सीमा से मुख्य मार्ग ग्राम नगर से रघुनाथपुरा जाने वाली सड़क करीब के 1/2 किमी की दूरी पर स्थित है। गाम नगर से रघुनाथपुरा की सड़क से मौके पर रास्ता निकल रहा है। जो ग्राम नगर के ख. नं. 3, 4, 40, 41, 39, 45 से होकर निकल रहा है। ख. नं. 3, 4, 40, 45 पर सिवायचक काबिल कास्त हैं। दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। जबकि खं. नं. 39, 41 सिवायचक नाला, नाली मे गै. मु. नाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त 290 नम्बरान में रास्ता बना हुआ है। जो ग्राम हरीपुरा की सीमा तक जाता है। उक्तम रास्ता नगर रघुनाथपुरा की सड़क से मिलता है। जो आराजी ख. नं. 45 से गुजरती

है। गाम हरीपुरा की सीमा से नगर रघुनाथपुरा की सड़क तक उक्त रास्ते की लम्बाई 500 मीटर व चौडाई 4 मीटर है। प्रार्थी इसी रास्ते के अपनी आराजी तक पहुंचता है। गै. मु. नाला रास्ते में आने से राज्य सरकार बनाम अ0 रहमान प्रकरण से संबंधित है।
श्रीमान कि सेवामे अग्रिम कार्यवाही वास्ते जांच रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। अतः प्रार्थी को किसी भी तरह से रास्ता दिलाये जाने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी तहसीलदार ने जवाब/रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। नक्शा ट्रेस व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर दृष्टिगत है कि प्रार्थीगण अपनी आराजी भूमि 407 में जाने के लिए गाम नगर से रघुनाथपुरा की सड़क से मौके पर रास्ता निकल रहा है, जो ग्राम नगर के ख. नं. 3, 4, 40, 41, 39, 45 से होकर निकल रहा है। ख. नं. 3, 4, 40, 45 सिवायचक काबिल काश्त हैं। दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। जबकि खं. नं. 39, 41 सिवायचक नाला, नाली मे गै. मु. नाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है,जो अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित भूमि होने से इस भूमि को खुर्द बुर्द नहीं किया जा सकता है न ही इसकी किस्म परिवर्तन किया जा सकता है। अतः तहसीलदार द्वारा अभिशंषा नहीं होने व खं. नं. 39, 41 प्रतिबंधित श्रेणी में होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली